शासनादेश संख्या-15/2020/बी-2-74/दस-2020-2/2019

पंचायती राज अनु0-3 की पत्रा.सं.-03/2015 टी.सी.-1

प्रेषक,

आलोक दीक्षित,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 25 मार्च, 2020

विषय:- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रदेश की जिला पंचायतों को सामान्य समनुदेशन की धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-61 में प्रदेश की जिला पंचायतों को दी जाने वाली सामान्य समनुदेशन की कुल धनराशि रूपये 232000.00 लाख की 5% धनराशि (ए.टी.आर. में उल्लिखित संस्तुति संख्या-55 के अनुसार आडिट अनुशासन हेतु) एवं 0.15% धनराशि (संस्तुति संख्या-23 के अनुसार प्रशिक्षण संस्थान हेतु) को छोड़कर 94.85% धनराशि में से 1% परिक्रमी निधि की धनराशि को घटाते हुए अवशेष 93.85 धनराशि **रूपये 217732.00 लाख में से अन्तिम चार माह (दिसम्बर 2019, जनवरी, फरवरी, मार्च, 2020) हेतु रूपये 72577.32 लाख (रूपये सात सौ पच्चीस करोड़ सतहत्तर लाख बत्तीस हजार मात्र)** संस्तुति संख्या-57 के अनुसार संलग्न सूची में अंकित विवरण के अनुसार जिला पंचायतों को दिये जाने की श्री राज्यपाल महोदय स्वीकृति प्रदान करते हैं।

निकाय का नाम	स्वीकृत धनराशि
जिला पंचायतें	72577.32 लाख

2- संलग्न सूची में उल्लिखित जिला पंचायतों को धनराशि चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर दी जा रही है।

3- उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत की जा रही हैः-

(1) जिला पंचायतों को स्वीकृत की जा रही धनराशि, कोषागार से आहरित कर किसी भी दशा में निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।

(2) जिला पंचायतों को स्वीकृत की जा रही धनराशि, निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा शासनादेश के साथ संलग्न सूची में इंगित जिले के सम्मुख कॉलम-3 में जिला पंचायतों के लिये आवंटित धनराशि के अनुसार, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ से आहरित कर सीधे जिला पंचायतों के खाते में जमा की जायेगी। निदेशक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिला पंचायतों का बैंक खाता एवं आई.एफ.एस. कोड, जिसमें धनराशि जमा की जा रही है वह सही है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) धनराशि के आहरण के एक सप्ताह के भीतर आहरण की सूचना, बाउचर संख्या व दिनांक सहित प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के अधीन गठित जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक को प्रेषित की जायेगी जो अपने स्तर से धनराशि के आहरण की संहत सूचना पंचायती राज अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध करायेंगे।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये धनराशि दी जा रही है। इस धनराशि से किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।

(5) पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन तथा निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश स्वीकृत धनराशियों के नियमानुसार उपयोग की समीक्षा करेंगे तथा इसके समुचित उपयोग के लिये उत्तरदायी होंगे।

4- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-61 के अंतर्गत लेखाशीर्षक ''3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन- 196-जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता-03-राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन-0301-सामान्य समनुदेशन-28-समनुदेशन'' के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(आलोक दीक्षित)
विशेष सचिव।

शासनादेश संख्या-15/2020/बी-2-74(1)/दस-2020-2/2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2- वित्त संसाधन (वित्त आयोग) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।
4- पंचायती राज अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
5- समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश।
9- उपनिदेशक, जिला पंचायत, अनुश्रवण कोष्ठक, पंचायती राज विभाग,उत्तर प्रदेश शासन।
10- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
11- निदेशक, पंचायती राज (लेखा), इन्दिरा भवन, 10 वां तल, लखनऊ।

आज्ञा से,

(आलोक दीक्षित)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या- 15 /2020/बी-2-74/दस-2020-2/2019, दिनांक 25 मार्च, 2020 का संलग्न

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वर्ष 2019-20 की आय-व्ययक में जिला पंचायतों हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अन्तिम चार माह (दिसम्बर2019, जनवरी,फरवरी,मार्च 2020) के लिये व्यवस्थित धनराशि के आंवटन का फॉट

अनुदान संख्या.61

3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-

196-जिला परिषदो/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता-

03-राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन-

0301-सामान्य समनुदेशन-

28-समनुदेशन-

क्रम संख्या	जिला पंचायत का नाम	अन्तिम चार माह की आवंटित धनराशि (तृतीय किस्त)				
1	2	3				
1	मेरठ	976.89090				
2	बागपत	735.93416				
3	गाजियाबाद	875.28264				
4	गौतमबुद्धनगर	722.87024				
5	बुलन्दशहर	1190.26826				
6	हापुड़	897.78162				
7	सहारनपुर	1145.27032				
8	मुजफ्फर नगर	1032.77546				
9	शामली	651.74446				
10	आगरा	1175.02702				
11	फिरोजाबाद	883.99192				
12	मथुरा	924.63522				
13	मैनपुरी	799.80222				
14	अलीगढ	1116.96516				
15	हाथरस	763.51354				
16	एटा	754.80426				
17	कांसगंज	661.90528				
18	मुरादाबाद	817.22078				
19	अमरोहा	744.64344				
20	रामपुर	810.68882				
21	बिजनौर	1305.66622				
22	सम्भल	815.76922				
23	बरेली	1196.80022				
24	बदायूं	1057.45174				
25	शाहजहांपुर	1023.34040				
26	पीलीभीत	864.39604				
27	लखनऊ	1038.56836				
28	रायबरेली	934.79606				

अनुदान संख्या.61
3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-
196-जिला परिषदो/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता-
03-राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन-
0301-सामान्य समनुदेशन-
28-समनुदेशन-

क्रम संख्या	जिला पंचायत का नाम	अन्तिम चार माह की आवंटित धनराशि (तृतीय किस्त)				
1	2	3				
29	सीतापुर	1647.50546				
30	हरदोई	1479.12606				
31	खीरी	1492.18998				
32	उन्नाव	1147.44764				
33	बस्ती	941.32802				
34	सिद्धार्थनगर	918.10326				
35	सन्त कबीर नगर	726.49910				
36	गोरखपुर	1368.08272				
37	देवरिया	1077.04762				
38	कुशीनगर	1225.83116				
39	महराजगंज	978.34246				

अनुदान संख्या.61

3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-

196-जिला परिषदो/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता-

03-राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन-

0301-सामान्य समनुदेशन-

28-समनुदेशन-

क्रम संख्या	जिला पंचायत का नाम	अन्तिम चार माह की आवंटित धनराशि (तृतीय किस्त)				
1	2	3				
40	फैजाबाद	975.43936				
41	बाराबंकी	1262.11982				
42	सुल्तानपुर	993.58370				
43	अम्बेडकर नगर	934.79606				
44	अमेठी	1006.64762				
45	गोण्डा	1212.04146				
46	बलरामपुर	799.07644				
47	बहराइच	1132.20640				
48	श्रावस्ती	514.57330				
49	मिर्जापुर	1022.61462				
50	संत रविदास नगर	690.93622				
51	सोनभद्र	1018.98576				
52	वाराणसी	959.47234				
53	चन्दौली	787.46406				
54	गाजीपुर	1266.47446				
55	जौनपुर	1589.44360				
56	इलाहाबाद	1725.88898				
57	कौशाम्बी	784.56098				
58	प्रतापगढ़	1172.84970				
59	फतेहपुर	1013.90534				
60	आजमगढ	1603.23330				
61	मऊ	802.70530				
62	बलिया	1117.69094				
63	कानपुर नगर	764.23932				
64	कानपुर देहात	909.39398				
65	फर्रूखाबाद	756.98158				
66	इटावा	723.59602				
67	कन्नौज	727.95066				
68	औरैया	704.72590				
69	झांसी	757.70736				
70	जालौन	679.32384				
71	ललितपुर	687.30734				

अनुदान संख्या 61						
3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-						
196-जिला परिषदो/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता-						
03-राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन-						
0301-सामान्य समनुदेशन-						
28-समनुदेशन-						
क्रम संख्या	जिला पंचायत का नाम	अन्तिम चार माह की आवंटित धनराशि (तृतीय किस्त)				
1	**2**	**3**				
72	हमीरपुर	594.40836				
73	बांदा	758.43314				
74	चित्रकूट	639.40630				
75	महोबा	566.82898				
	महायोग	**72577.32000**				

शासनादेश संख्या- 15 /2020/क

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुति

जिला पंचायतों हेतु प्राविधानित धन

जनवरी,फरवरी,मार्च 2020) के

अनुदान संख्या 61

3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती
तथा समनुदेशन-

196-जिला परिषदो/जिला स्तरीय पंचाय

03-राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों

0301-सामान्य समनुदेशन-

28-समनुदेशन-

क्रम संख्या	जिला पंचायत का नाम	
1	**2**	
1	मेरठ	
2	बागपत	
3	गाजियाबाद	
4	गौतमबुद्धनगर	
5	बुलन्दशहर	
6	हापुड़	
7	सहारनपुर	
8	मुजफ्फर नगर	
9	शामली	
10	आगरा	
11	फिरोजाबाद	
12	मथुरा	
13	मैनपुरी	
14	अलीगढ	
15	हाथरस	
16	एटा	
17	कांसगंज	
18	मुरादाबाद	
19	अमरोहा	
20	रामपुर	
21	बिजनौर	
22	सम्भल	
23	बरेली	
24	बदायूं	
25	शाहजहांपुर	
26	पीलीभीत	
27	लखनऊ	
28	रायबरेली	

अनुदान संख्या 61		
3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती तथा समनुदेशन-		
196-जिला परिषदो/जिला स्तरीय पंचाय		
03-राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों		
0301-सामान्य समनुदेशन-		
28-समनुदेशन-		
क्रम संख्या	जिला पंचायत का नाम	
1	**2**	
29	सीतापुर	
30	हरदोई	
31	खीरी	
32	उन्नाव	
33	बस्ती	
34	सिद्धार्थनगर	
35	सन्त कबीर नगर	
36	गोरखपुर	
37	देवरिया	
38	कुशीनगर	
39	महराजगंज	

अनुदान संख्या 61		
3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती तथा समनुदेशन-		
196-जिला परिषदो/जिला स्तरीय पंचाय		
03-राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों		
0301-सामान्य समनुदेशन-		
28-समनुदेशन-		
क्रम संख्या	जिला पंचायत का नाम	
1	**2**	
40	फैजाबाद	
41	बाराबंकी	
42	सुल्तानपुर	
43	अम्बेडकर नगर	
44	अमेठी	
45	गोण्डा	
46	बलरामपुर	
47	बहराइच	
48	श्रावस्ती	
49	मिर्जापुर	
50	संत रविदास नगर	
51	सोनभद्र	
52	वाराणसी	
53	चन्दौली	
54	गाजीपुर	
55	जौनपुर	
56	इलाहाबाद	
57	कौशाम्बी	
58	प्रतापगढ़	
59	फतेहपुर	
60	आजमगढ	
61	मऊ	
62	बलिया	
63	कानपुर नगर	
64	कानपुर देहात	
65	फर्रूखाबाद	
66	इटावा	
67	कन्नौज	
68	औरैया	
69	झांसी	
70	जालौन	
71	ललितपुर	

अनुदान संख्या 61		
3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती तथा समनुदेशन-		
196-जिला परिषदो/जिला स्तरीय पंचाय		
03-राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों		
0301-सामान्य समनुदेशन-		
28-समनुदेशन-		
क्रम संख्या	जिला पंचायत का नाम	
1	**2**	
72	हमीरपुर	
73	बांदा	
74	चित्रकूट	
75	महोबा	
	महायोग	